न्यायालय,समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी,खगड़िया।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख एक्ट, 1946 का नियम 139)

आदेश पत्रक–ता0..............................से...

जिला–खगड़िया..............................,सा0...,सन्.................................

केस का प्रकारः–बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 के अर्न्तगत जप्त विदेशी शराब को विनष्ट करने के संबंध में। वाद संख्याः– 141 /2017 (मड़ैया)

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1.	02.	3
29.12.2017	बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 30(ए) के तहत परबत्ता (मड़ैया) थाना में दर्ज कांड संख्या–259/2017 दिनांक 02.08.2017 में जप्त किये गए विदेशी शराब के विनष्टीकरण हेतु अनुसंशा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 4428/हि0शा0 दिनांक 21.12.2017 द्वारा प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के साथ संलग्न थानाध्यक्ष, परबत्ता (मड़ैया) का प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जप्त की गई कुल– 375 एम0एल0 का 03 बोतल विदेशी शराब कुल मात्रा में से 375 एम0एल0 का 02 बोतल माननीय विशेष न्यायालय के आदेशानुसार जॉच हेतु रसायण परीक्षक बिहार पटना को भेज दिया गया है, जबकि शेष–375 एम0एल0 का 01 बोतल विदेशी शराब परबत्ता (मड़ैया) थाने के मालखाना में रखा गया है। पुलिस पदाधिकारी ने यह भी प्रतिवेदित किया है कि थाने में रखी गई शराब का दुरूपयोग किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इसे लंबे समय तक जमा रखना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सर्वथा अनुपयुक्त है। अतएव प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–57 में वर्णित शक्तियों का प्रयोग करते हुए परबत्ता (मड़ैया) थाने के मालखाना में रखी गई कुल–375 एम0एल0 का 01 बोतल विदेशी शराब कुल–375 एम0एल0 विनष्ट करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया अपने देख–रेख में निर्धारित प्रक्रियों का पालन करते हुए परबत्ता (मड़ैया) थाना कांड संख्या–259/2017 के आधार पर जप्त की गई कुल–375 एम0एल0 विदेशी शराब को विनष्ट करते हुए तत्संबंधी प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में समर्पित करेंगे। इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष, परबत्ता (मड़ैया)/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ भेजी जाय। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, खगड़िया। (Seal: न्यायालय समाहर्त्ता-सह-जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया (बिहार)) समाहर्त्ता, खगड़िया।	For Web 02/01/18

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित 3.
	डी0 बी0 नं0......511....... /विधि, दिनांक 30/12/2017 प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/थानाध्यक्ष परबत्ता (मड़ैया) /अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। 30/12/17 प्रभारी पदाधिकारी जिला विधि शाखा, खगड़िया। 30/12/17	